परीक्षा समिति की आपात् बैठक दिनांङ्क: 08.02.2016 का कार्यवृत्त

आज दिनांङ्क 08.02.2016, दिन सोमवार को पूर्वाह्न 02:00 बजे विश्वविद्यालय के सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की आपात् बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 जे0वी0 वैशम्पायन, कुलपति, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	डॉ0 ज्योति शंकर, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, के0ए0डी0 कालेज, इलाहाबाद।	सदस्य
3.	प्रो0 मुकेश रंगा, आचार्य, आई0बी0एम, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
4.	डॉ0 अंशु यादव, उपाचार्या, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्या
5.	प्रो0 शकील अहमद, प्राचार्य, हलीम मुस्लिम पी0जी0 कालेज, कानपुर।	सदस्य
6.	प्रो0 आर0सी0 कटियार, आचार्य, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
7.	डॉ0 संदीप सिंह, उपाचार्य, सतत् प्रौढ़ शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
8.	डॉ0 जी0एल0 श्रीवास्तव, प्राचार्य, अर्मापुर पी0जी0 कालेज, कानपुर।	सदस्य
9.	डॉ0 तेज बहादुर सिंह, सहायक कुलसचिव, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
10.	डॉ0 सुधांशु पाण्डया, उपाचार्य, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
11.	डॉ0 सरोज द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
12.	श्री राजबहादुर यादव, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सचिव

माननीय कुलपति जी ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए :–

1. (क) सत्र 2015–16 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षाओं हेतु नोडल केन्द्र व परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए जाने से परीक्षा समिति को संसूचित किया जाना :–

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि कम्प्यूटर सेण्टर से प्राप्त डेटा के अनुसार दिनांक 05.03.2016 से प्रारम्भ होकर सम्पन्न होने वाली सत्र 2015–16 की संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षा में लगभग 13,28,715 परीक्षार्थी सम्मिलित होगें। समिति को यह भी अवगत कराया गया कि आवश्यकतानुसार 20 नोडल केन्द्र अतिरिक्त बनाये गए है तथा 02 पूर्व नोडल केन्द्रों–मयंक शेखर महाविद्यालय, कोरावं, कानपुर देहात एवं बृहस्पति महिला महाविद्यालय, कानपुर को निरस्त किया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराया कि सत्र 2015–16 की व्यक्तिगत परीक्षा 49 परीक्षा केन्द्रों में सम्पन्न करा ली जाएगी।

परीक्षा समिति द्वारा उक्त से अवगत होते हुए निर्णय लिया कि प्रत्येक नोडल केन्द्र में सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यलायों के प्राचार्यो/केन्द्राध्यक्षों को निर्देशित किया जाय।

(ख) दिनांक 12.02.2016 से प्रारम्भ होने वाली बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रम की परीक्षाएं परीक्षा केन्द्रों में सी.सी.टी.वी. कैमरे न लगाए जाने के कारण स्थगित किए जाने से परीक्षा समिति संसूचित हुई।

परीक्षा समिति इस तथ्य से भी संसूचित हुई कि बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0 की परीक्षा कराये जाने हेतु परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में दिनांक 16.02.2016 तक समस्त परीक्षा कक्षों में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाए, अन्यथा की स्थिति में परीक्षा केन्द्र परिवर्तित कर अन्यत्र उनकी परीक्षा सम्पन्न करायी जाय।

(ग) दिनांक 29 जनवरी, 2016 से प्रारम्भ होकर सम्पन्न होने वाली विधि पाठ्यक्रम (बी0ए0एलएल0बी0 सहित) की विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों/नोडल केन्द्रों से परीक्षा समिति संसूचित हुई। परीक्षा समिति इस तथ्य से भी सूचित हुई कि छात्रों द्वारा उपद्रव किए जाने के कारण दिनांक 29.01.2016 को परीक्षा केन्द्र पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय, सैदाबाद, इलाहाबाद में सम्पन्न होने वाली उक्त परीक्षाएं निरस्त की गई।

(घ) परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि बैकपेपर परीक्षा 2015 व सन्निरीक्षा (Scrutiny) के कारण उत्तीर्ण हुए कतिपय अभ्यर्थियों के परीक्षा आवेदन ऑनलाइन सब्मिट नहीं किए जा सके है। जिससे वे सत्र 2015–16 की संस्थागत परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगें, उन अभ्यर्थियों एवं महाविद्यालयों द्वारा अपने प्रार्थनापत्रों के माध्यम से कालेज लॉगिन खोले जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जिन अभ्यर्थियों के बैकपेपर परीक्षा एवं स्क्रूटनी के परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित किए गए है, उन अभ्यर्थियों के परीक्षा आवेदन ऑनलाइन सब्मिट करने हेतु दिनांक 11.02.2016 से 15.02.2016 तक के लिए कालेज लॉगिन खोल दी जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

(ड़) परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं0–2863/2016, योगेश शाण्डिल्य एवं एक अन्य बनाम कुलपति, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर एवं अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.01.2016 के द्वारा याचिकाकर्ताओं क्रमशः योगेश शाण्डिल्य एवं बसन्त कुमार सोनी को निर्गत निर्णयपत्र–सी.एस.जे.एम.यू./यू.एफ.एम./ए.एल. 168/46/2015 दिनांक 16.12.2015 एवं सी.एस.जे.एम.यू./यू.एफ.एम./ए.एल.168/22/2015 दिनांक 16.12.2015 को निरस्त करते हुए आदेशित किया गया कि विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति याचिकाकर्ताओं के प्रकरण पर, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरणों का संज्ञान लेते हुए पुनर्विचार कर नवीन आदेश प्रदान करें।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के सन्दर्भ में परीक्षा समिति के सचिव ने यह अवगत कराया है कि दिनांक 06.07.2015 को प्रातः 07.00–10.00 बजे की पाली में सैनिक लॉ कालेज, कैथवाल, जगतपुर, इलाहाबाद में 79 परीक्षार्थी चतुर्थ सेमेस्टर के कोड नं0–एलएल0बी0 404 (Labour Law-II) प्रश्नपत्र की परीक्षा सम्मिलित थे। उक्त परीक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा गठित उड़नदस्ते की आख्या के अनुसार 79 परीक्षार्थियों में से 29 परीक्षार्थियों को अनुचित साधन प्रयोग करते हुए पकड़ा तथा नकल सामग्री के साथ उत्तर पुस्तिकाएं विश्वविद्यालय को प्रेषित की। विश्वविद्यालय के पत्रांक–सी.एस.जे.एम.वि.वि./एक्जाम सेमेस्टर/180/2015 दिनांक 20.08.2015 के द्वारा सभी 29 छात्रों को उनके महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से आरोप पत्र प्रेषित किए गए। प्रत्युत्तर में छात्रों ने स्वयं को निर्दोष बताया।

विश्वविद्यालय द्वारा उक्त उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षण हेतु एक विषय विशेषज्ञ माननीय कुलपति द्वारा नामित किया गया। परीक्षण के पश्चात् रिपोर्ट में सभी 29 उत्तर पुस्तिकाओं के साथ संलग्न नकल सामग्री उक्त प्रश्नपत्र के विषय से सम्बन्धित पायी गई। विषय विशेषज्ञ द्वारा दी गई रिपोर्ट, आरोपपत्रों एवं उनके प्रत्युत्तरों पर कुलपति जी द्वारा नामित 04 सदस्यीय यू0एफ0एम0 कमेटी द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया। विचारोपरान्त यू0एफ0एम0 कमेटी ने पाया कि उक्त सभी 29 छात्र (अनुक्रमांक–908402, 908405, 908410, **908423**, 908427, 908431, 908442, 908445, 908448, 908450, 908453, 908455, 908457, 908458, 908461, 908464, 908465, 908468, 908473, 908474, 908477, 908487, 908490, 908505, 908508, 908511, 908513 एवं **908516**) अनुचित साधन प्रयोग (UFM) के दोषी है और इस आधार पर नियमानुसार उन छात्रों की एक वर्ष की परीक्षा निरस्त करने की संस्तुति की गई।

दिनांक 28.11.2015 को विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति के समक्ष उक्त प्रकरणों को प्रस्तुत किया गया और प्रत्येक परीक्षार्थी के प्रकरण पर सम्यक रूप से विचार करके परीक्षा समिति द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया :–

"सभी 29 छात्रों की एलएल0बी0 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा निरस्त की जाती है एवं सत्र 2015–16 के परीक्षार्थियों के साथ इन सभी छात्रों को संदर्भित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है।" इन 29 छात्रों में याचिकाकर्ता (अनुक्रमांक–908423 एवं 908516) भी सम्मिलित है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.01.2016 (Writ-C No.-2863 of 2016) पर परीक्षा समिति ने व्यापक विचार–विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से पुनः निर्णय लिया कि याचिकाकर्ताओं (अनुक्रमांक–908423 एवं 908516) सहित सभी 29 छात्रों की एलएल0बी0 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा निरस्त करते हुए सत्र 2015–16 के चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के साथ इन सभी छात्रों को संदर्भित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (अनुचित साधन प्रयोग)

(च) परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं0–3036/2016, निशांत तिवारी एवं 02 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.01.2016 के द्वारा याचिकाकर्ताओं क्रमशः निशांत तिवारी, महेन्द्र कुमार गुप्ता एवं अंशुमन गौड़ को निर्गत निर्णयपत्र–सी.एस.जे.एम.यू./यू.एफ.एम./के.एन.118/279/2015 दिनांक 16.12.2015, एवं सी.एस.जे.एम.यू./यू.एफ.एम./के.एन.118/274/2015 दिनांक 16.12.2015 एवं सी.एस.जे.एम.यू./यू.एफ.एम./के.एन.118/244/2015 दिनांक 16.12.2015 को निरस्त करते हुए आदेशित किया गया कि विश्वविद्यालय याचिकाकर्ताओं के प्रकरण पर पुनर्विचार कर नवीन आदेश प्रदान करें।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के सन्दर्भ में परीक्षा समिति के सचिव ने यह अवगत कराया है कि दिनांक 03.07.2015 को सायं 11.00–02.00 बजे की पाली में बाबू सुखदेव प्रसाद वर्मा लॉ कालेज, चकेरी, कानपुर नगर में चतुर्थ सेमेस्टर के कोड नं0–एलएल0बी0 402 (Cr. P.C.) प्रश्नपत्र की परीक्षा सम्पन्न करायी जा रही थी। उक्त परीक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा गठित उड़नदस्ते की आख्या के अनुसार परीक्षा केन्द्र में समस्त परीक्षार्थियों को बोल–बोलकर सामूहिक नकल करायी जा रही थी तथा कक्ष संख्या–02 के कक्ष निरीक्षक ने अपने पास से नकल बाहर फेंकी, जिसे उड़नदस्ते के सदस्यों ने उठाकर उत्तर पुस्तिकाओं से मिलाया और सभी 96 परीक्षार्थियों की

उत्तर पुस्तिकाओं को सील कराकर दूसरी नयी उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षार्थियों को दी। परीक्षा केन्द्र की छत पर कालेज के अन्य कर्मचारी नकल में सहयोग कर रहे थे जिन्हें नकल सामग्री के साथ पकड़ा गया। विश्वविद्यालय के पत्रांक–सी.एस. जे.एम.वि.वि./एक्जाम सेमेस्टर/मेमो/2015 दिनांक 07.10.2015 के द्वारा सभी 96 छात्रों को उनके महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से आरोप पत्र प्रेषित किए गए। अपने प्रत्युत्तर में महाविद्यालय के प्राचार्य ने अपने पत्रांक–B.S.P.B.L./2015 दिनांक 16.10.2015 स्वयं को निर्दोष बताते हुए प्रकरण को निरस्त करने की मांग की।

विश्वविद्यालय द्वारा उक्त उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षण हेतु एक विषय विशेषज्ञ माननीय कुलपति द्वारा नामित किया गया। परीक्षण के पश्चात् रिपोर्ट में यह सुनिश्चित हुआ कि उक्त समस्त छात्रों के प्रश्नपत्र के खण्ड–अ से प्रश्न–1 (लगभग A, B, C, D, E, H, I & J) का उत्तर लिखा है। खण्ड–ब एवं खण्ड–स से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि उत्तर बोलकर लिखाए गए है। सामूहिक नकल के कारण सभी छात्रों के उत्तर एक सामान ही है। विषय विशेषज्ञ द्वारा दी गई रिपोर्ट, महाविद्यालय को दिया गया आरोप पत्र एवं उसके प्रत्युत्तर पर कुलपति जी द्वारा नामित चार सदस्यीय अनुचित साधन प्रयोग समिति द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया।

विचारोपरान्त अनुचित साधन प्रयोग समिति ने याचिकाकर्ताओं (अनुक्रमांक–908618, 908657 एवं 908665) सहित उक्त 96 छात्र सामूहिक नकल में दोषी होने की पुष्टि की, जिसके आधार पर नियमानुसार उन समस्त छात्रों की परीक्षा एक वर्ष की परीक्षा निरस्त करने की संस्तुति की गई।

दिनांक 28.11.2015 को विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति के समक्ष उक्त प्रकरणों को प्रस्तुत किया गया और प्रत्येक परीक्षार्थी के प्रकरण पर सम्यक रूप से विचार करके परीक्षा समिति द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया :–

"सभी 96 छात्रों की एलएल0बी0 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा निरस्त की जाती है एवं सत्र 2015–16 के परीक्षार्थियों के साथ इन सभी छात्रों को संदर्भित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है।" इन 96 छात्रों में याचिकाकर्ता (अनुक्रमांक–908423 एवं 908516) भी सम्मिलित है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.01.2016 (Writ-C No.-3036 of 2016) पर परीक्षा समिति ने व्यापक विचार–विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से पुनः निर्णय लिया कि याचिकाकर्ताओं (अनुक्रमांक–908618, 908657 एवं 908665) सहित सभी 96 छात्रों की एलएल0बी0 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा निरस्त करते हुए सत्र 2015–16 के चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के साथ इन सभी छात्रों को संदर्भित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (अनुचित साधन प्रयोग)

(छ) परीक्षा समिति के सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि छात्र दीपक कुमार सिंह, बी0एससी0–कृषि, अष्टम् सेमेस्टर, अनुक्रमांक–0090489, चौ0 चरण सिंह पी0जी0 कालेज, हेंवरा, इटावा, बी0एससी0–कृषि के प्रथम से षष्ठम् सेमेस्टर तक पुराने पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्रों की परीक्षाओं से सम्मिलित हुआ था, परन्तु त्रुटिवश सप्तम् व अष्टम सेमेस्टर में नवीन पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्रों की परीक्षाओं सम्मिलित हुआ। किन्तु उक्त विसंगति के कारण परीक्षार्थी का अष्टम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम रोक दिया गया। परीक्षार्थी ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अपने परीक्षा परिणाम को घोषित करने का अनुरोध किया है। प्रकरण पर संकायाध्यक्ष (कृषि संकाय) की आख्या ली गई है। जिसमें उन्होंने अवगत कराया है कि पुराने पाठ्यक्रम के सप्तम सेमेस्टर के प्रश्नपत्र वही है जो नवीन पाठ्यक्रम के अष्टम सेमेस्टर के है तथा पुराने पाठ्यक्रम के अष्टम सेमेस्टर के एक प्रश्नपत्र (Dry land farming & water shed managament) को छोड़कर सभी प्रश्नपत्र शीर्षक नवीन पाठ्यक्रम के सप्तम सेमेस्टर में समाहित है। अतः छात्र को पुराने पाठ्यक्रम के अष्टम सेमेस्टर के उक्त प्रश्नपत्र (Dry land farming & water shed managament) की बैकपेपर की परीक्षा में सम्मिलित कर उसका परीक्षा परिणाम पुराने पाठ्यक्रम के आधार पर घोषित कर दिया जाय।

प्रकरण पर परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से सम्बन्धित अधिष्ठाता के अभिमत को अनुमोदित किया गया।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (सेमेस्टर परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

(ज) परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि बी0एससी0–कृषि पुराने पाठ्यक्रम के छात्र श्री राहुल कुमार, अनुक्रमांक–500041, कुलभास्कर आश्रम डिग्री कालेज, इलाहाबाद द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वह उक्त पाठ्यक्रम के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर में पुराने पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्रों की परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ था, परन्तु तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पुनः वह तृतीय सेमेस्टर में भूतपूर्व छात्र के रूप में नवीन पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्रों की परीक्षाओं में सम्मिलित हो गया। उक्त के अतिरिक्त आगामी चतुर्थ, पंचम्, षष्ठम्, सप्तम् एवं अष्टम् सेमेस्टर की परीक्षाओं में भी वह नवीन पाठ्यक्रम से सम्मिलित हुआ। किन्तु उक्त विसंगति के कारण उसका परीक्षा परिणाम रोक दिया गया।

प्रकरण पर परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उक्त प्रकरण पर अधिष्ठाता, कृषि संकाय का अभिमत प्राप्त कर माननीय कुलपति जी को अन्तिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (सेमेस्टर परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

(झ) स्नातक तथा परास्नातक स्तर के छात्रों को प्रत्येक भाग की अलग–अलग अंकतालिकाएं प्रदान करने के बदले सम्बन्धित पाठ्यक्रम के सभी भागों की एक संयुक्त अंकतालिका (Composite marks sheet) निर्गत करने के क्रम में परीक्षा समिति के अध्यक्ष माननीय कुलपति जी ने निर्णय लिया है कि सत्र 2014–15 के स्नातक स्तर के प्रथम व द्वितीय भाग की कक्षाओं के तथा परास्तनाक स्तर की प्रथम भाग की कक्षाओं के परीक्षार्थियों को अंकतालिकाएं प्रदान न की जाय। केवल सम्बन्धित कक्षाओं के अन्तिम वर्ष के अभ्यर्थियों को ही अंकतालिकाएं मुद्रित कर उपलब्ध करायी जाय। सत्र 2015–16 से अभ्यर्थियों को सम्बन्धित पाठ्यक्रम की संयुक्त अंकतालिकाएं प्रदान की जाय। साथ ही यदि किसी परीक्षार्थी को किसी आवश्यक कार्यवश या किसी योजनान्तर्गत अंकतालिका की आवश्यकता हो, तो आवेदन करने पर उसकी अंकतालिका मुद्रित कर उसे उपलब्ध करा दी जाय।

उक्त से परीक्षा समिति संसूचित हुई तथा कुलपति जी की उक्त नवोन्मेषी पहल (Innovative Initiative) की सराहना भी की।

(ण) परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि सत्र 2014–15 की प्रायोगिकी/मौखिकी में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों को विश्वविद्यालय को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। जिनकी हार्ड कॉपी भी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जानी थी। उनमें से कतिपय अभ्यर्थियों के अंक ऑनलाइन महाविद्यालय द्वारा तो फीड नहीं किए गए है, किन्तु हार्ड कॉपी में हस्तलिखित अंक उपलब्ध कराये गए, जिनको सन्देहास्पद होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई। इस कारण छात्रों का परीक्षा परिणाम अपूर्ण घोषित किया गया।

प्रकरण पर परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकार के अभ्यर्थियों में से जिन्होंने आवेदन किया हो, उनकी प्रायोगिकी/मौखिकी पुनः सम्पन्न कराकर उनके परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाय।

कार्यवाही–सहा0 कुलसचिव (अतिगोपनीय/कैम्पस परीक्षा)

(ट) परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि चौ0 जमादार सिंह महाविद्यालय, लालकपुर, कन्नौज के सत्र 2014–15 के बी0एड0 पाठ्यक्रम के छात्र संदीप कुमार, जो कि पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के उपरान्त किसी दुर्घटना के कारण दृष्टिबाधित हो गया था, उसने अपनी सैद्धान्तिक परीक्षा श्रुतिलेखक के माध्यम से दी थी, किन्तु प्रायोगिकी के परीक्षक ने अभ्यर्थी के दृष्टिबाधित होने के कारण उसकी प्रायोगिकी लेने से मना कर दिया है।

प्रकरण पर परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त छात्र की प्रायोगिकी भी सैद्धान्तिक परीक्षा की भाँति श्रुतिलेखक के माध्यम से सम्पन्न करा ली जाय।

कार्यवाही–सहा0 कुलसचिव (अतिगोपनीय/कैम्पस परीक्षा)

(ठ) परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि याचिका सं0–39422/2015, बसन्त महाविद्यालय एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य तथा सम्बद्ध याचिकाओं में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.01.2016 एवं याचिका सं0–1598/2016, सुशीला देवी महाविद्यालय एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2016 के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप सं0–सी.एस.जे.एम.वि.वि./लीगल सेल/08/2016 दिनांक 04.02.2016 निर्गत कर सत्र 2015–16 के ऐसे महाविद्यालय जिनके द्वारा अद्यतन परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय कोष में जमा नहीं किया गया है, उन्हें इस आशय के निर्देश प्रदान किए गए है कि वे पूर्व निर्धारित परीक्षा शुल्क, स्नातक कक्षाओं हेतु ₹ 250/– एवं परास्नातक कक्षाओं हेतु ₹ 300/– प्रति परीक्षार्थी की दर से तथा ऐसे विषय जिनमें मौखिकी सम्पन्न होनी है, उनमें ₹ 100/– प्रति परीक्षार्थी की दर से मौखिकी शुल्क नियमानुसार दिनांक 15.02.2016 तक विश्वविद्यालय कोष में आवश्यक रूप से जमा कर दें। उक्त के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय के उक्त सन्दर्भित आदेशों में दिए गए निर्देशानुसार ऐसे महाविद्यालय जिनके द्वारा पूर्व में परीक्षा शुल्क जमा किया जा चुका है, उन्हें किसी भी प्रकार की शुल्क वापसी देय नहीं होगी, से भी अवगत करा दिया गया है।

परीक्षा समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त सन्दर्भित आदेशों के अनुपालन में निर्गत उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.02.2016 से संसूचित हुई।

सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

8/2/16

(प्रो० जे0वी0 वैशम्पायन)
कुलपति

8/2/16

(राजबहादुर यादव)
परीक्षा नियंत्रक